

कमांक 3322800/45/इसप/पार्ट-1/09/ 2759  
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जलसंसाधन विभाग,  
जल संसाधन भवन तुलसी नगर भोपाल म0प्र0


भोपाल, दिनांक 22/10/2016

//आदेश//

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक एफ-1/2/2008/नियम/चार दिनांक 18 जुलाई, 2008 एवं परिपत्र कमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी-2008 में निहित समयमान वेतनमान के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय समिति की अनुशंसा के आधार पर 28 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर निम्नलिखित उपयंत्रियों को उच्चतर समयमान वेतनमान में वेतन बैंड रु. 15,600-39100 में रु. 6600 के ग्रेड वेतन की स्वीकृति उनके प्रत्येक के नाम के समक्ष दर्शाये अनुसार दिनांक से प्रदान की जाती है:-

स.क.	कर्मचारी /अधिकारी का नाम	नियुक्ति दिनांक	तृतीय उच्चतम समयमान वेतनमान स्वीकृति दिनांक
1	श्री एल.एस. सिकरवार	20.01.1988	20.01.2016
2	श्री जे.सी. चौहान	03.02.1988	03.02.2016

- 1 समयमान स्वीकृति पर वेतन का निर्धारण मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग ज्ञाप कमांक एफ-8/2009/नियम चार दिनांक 23.03.2009 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 25.05.2009 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा। वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र दो पर आवश्यक विकल्प प्राप्त कर लिया जावे।
- 2 समयमान वेतन योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान का वित्तीय लाभ लेने के पश्चात यदि कोई कर्मचारी बाद में नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इंकार करता है तो उसे पूर्व से स्वीकृत उच्चतर वेतनमान के अन्तर्गत वित्तीय लाभ वापिस नहीं दिया जावेगा परन्तु बाद में उसे कोई उच्चतर वेतनमानों का वित्तीय लाभ देय नहीं होगा।

  
22.10.16

(एम.जी. चौबे)

प्रमुख अभियंता,

जल संसाधन विभाग, भोपाल

भोपाल दिनांक 22/10/2016

पृ.कमांक 3322800/45/इसप/पार्ट-1/02  
प्रतिलिपि:-

2760

- 1 संचालक (प्रशासन), नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, भोपाल
  - 2 मुख्य अभियंता, इन्दिरा सागर परियोजना (नहरें), सनावद जिला खरगोन।
  - 3 कार्यपालन यंत्री, न.वि.संक्र 18, खरगोन
  - 4 निज सहायक प्रमुख अभियंता/अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल।
  - 5 संबंधित श्री डी.के. सेठी, उपयंत्री द्वारा स.क.1
  - 6 बेव मेनेजर कार्यालय परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजना भोपाल।
- नोट : स.क. 1, 2, 3 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संबंधित कार्यालय कृपया वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर सेवा पुस्तिका की जाँच संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा से कराने के पश्चात ही भुगतान की कार्यवाही की जाय।

  
(न.के. परिहार)

अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता

19/10